[2018] 13 एससीआर 1188

अंबादास लक्ष्मण शिंदे और अन्य।

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2011 की पुनरीक्षण याचिका (सीआरएल) संख्या 18-19/2011) (आपराधिक अपील संख्या 881-882 2009) 31 अक्टूबर, 2018

[कुरियन जोसेफ, एएम खानविलकर और डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.जे]

सजा/सजा: अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 को हत्या और बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि आरोपी 3, 5 और 6 को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी – आरोपी संख्या 1, 2 और 4 द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील की गई थी जबकि राज्य ने आरोपी 3, 5 और 6 पर आजीवन कारावास की सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी – इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपी नंबर 1 की अपील खारिज कर दी। अदालत ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी 3, 5 और 6 के खिलाफ मौत की सजा सुनाई और आरोपियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। आरिफ मामला– आयोजित: अभियुक्तों को नोटिस दिए जाने से पहले ही अपीलों की सुनवाई शुरू हो गई थी – आरोपी नंबर 3, 5 और 6 का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया गया था – अदालत ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और उसी दिन उनकी बात सुनी गई और फैसला सुरक्षित रखा गया – इस प्रकार, आरोपी नंबर 3, 5 और 6 को सजा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा दायर अपीलों पर फैसला होने से पहले पीठ द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं था – वे वंचित थे। अधिवक्ता को शामिल करने और ऐसी प्रस्तुतियों का आग्रह करने का अवसर प्रदान करना, जैसा कि उन्हें सलाह दी जा सकती है कि वे राज्य द्वारा दायर अपीलों को बढ़ाने के लिए बचाव में आग्रह करें – अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 को मौत की सजा देने वाले फैसले को वापस लिया जाना चाहिए – इसी तरह आरोपी नंबर 1, 2 और 4 के संबंध में भी निर्णय वापस लिया जाता है क्योंकि अपीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और सामान्य निर्णय द्वारा निपटाई जाती हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सबूत आम थे। और एक ही घटना से संबंधित अपराध – इस प्रकार, सभी छह अभियुक्तों के संबंध में निर्णय को पूरी तरह से वापस लिया जाता है – दंड संहिता, 1860 – 5.302।

मो. आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2014) 9 एससीसी 737: [2014] 11 एससीआर 1009 – संदर्भित। केस लॉ रेफरेंस [2014] 11 एससीआर 1009 पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार निगरानी याचिका

2011 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 18–19 [2009 के आपराधिक अपील संख्या 881–882 में दिनांक 30.04.2009 के फैसले और आदेश से उत्पन्न]

2007 की आपराधिक अपील संख्या 1008–1009 में 2010 की आर.पी.(सी.आर.) संख्या 34–35, 2016 की 7008–09 के साथ।

याचिकाकर्ता की ओर से टी हरीश कुमार, राहुल कौशिक, श्रीमती गीता कोविलन।

उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री सुवेरना, अनूप कंदराज, सुश्री दीपा कुलकर्णी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. 22 मार्च 2007 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 366 के तहत 3"तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नासिक द्वारा किए गए एक संदर्भ का निपटारा किया।

2. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 की दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा। आरोपी संख्या 3, 5 और 6 की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी छह आरोपियों को दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, आरोपी संख्या 1, 2 और 4 को धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई थी। धारा 376 (2) (जी) के तहत आरोपी संख्या 3, 5 और 6 की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। सभी अभियुक्तों को निम्नलिखित के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था:

(i) धारा 307 के साथ धारा 34 जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर. पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई;

(ii) धारा 397 को धारा 395 के साथ पढ़ा जाता है जिसके लिए उन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है; और

(iii) धारा 396 जिसके लिए उन्हें दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

3. 2007 की आपराधिक अपील संख्या 1008–09 इस अदालत के समक्ष आरोपी नंबर 1 (अंकुश मारुति शिंदे), आरोपी नंबर 2 (राज्य अप्पा शिंदे) और आरोपी नंबर 4 (राजू म्हासू शिंदे) द्वारा दायर की गई थी।

4. महाराष्ट्र राज्य ने आरोपी संख्या 3, 5 और 6 पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाने की मांग के लिए 2009 की आपराधिक अपील संख्या 881–882 दायर की।

5. 30 अप्रैल 2009 के एक फैसले द्वारा, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए, इस अदालत ने आरोपी संख्या 3, 5 और 6 को मौत की सजा सुनाई।

6. अभियुक्तों द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं। 2010 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 34–35 आरोपी संख्या 1, 2 और 4 द्वारा दायर की गई थी। 2011 की पुनर्विचार याचिका संख्या 18–19 आरोपी संख्या 3, 5 और 6 द्वारा दायर की गई थी। पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

7. संविधान पीठ के फैसले का पालन करते हुए आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय', समीक्षा याचिकाओं को फिर से खोलने के लिए आपराधिक विविध याचिकाएं दायर की गई हैं। संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, हम पुनर्विचार याचिकाओं को फिर से खोलने की अनुमति देते हैं। उन्हें खुली अदालत में इस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

8. सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं निर्धारित करने की आवश्यकता है:

(i) 3 अगस्त 2007 को अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी गई थी। अपीलों के लंबित रहने के दौरान मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगा दी गई थी;

(ii) 21 नवम्बर, 2008 को महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों में नोटिस जारी किया गया था। राज्य द्वारा अपील को अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपीलों के साथ टैग किया गया था;

(iii) इस न्यायालय द्वारा 21 नवम्बर, 2008 को जारी किया गया नोटिस 2014 (9) एससीसी 737 अंबादास लक्ष्मण शिंदे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

6 दिसंबर 2008 को जेल में आरोपी को तामीला ;

(iv) नोटिस जारी किए जाने से पहले ही अपीलों की सुनवाई 4 दिसम्बर, 2008 को शुरू हो गई थी;

(v) आदेश पत्र से पता चलता है कि सभी अपीलों पर आंशिक रूप से सुनवाई की गई थी और उन्हें 10 दिसम्बर, 2008 को "दलीलों को जारी रखने के लिए" सूचीबद्ध करने का निदेश दिया गया था; (vi) 10 दिसम्बर, 2008 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था –

चूंकि उत्तरदाता नोटिस दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए संबंधित अपीलों में उपस्थित होने वाले विद्वान वकील श्री सुशील करंजाकर को उत्तरदातागण का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस मामले में सहायता करने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया जाता है क्योंकि उन्हें मामले के तथ्यों का पता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील करंजाकर ने सुबह 11.20 बजे बहस फिर से शुरू की और दोपहर 2.45 बजे समाप्त हुई। इसके बाद, श्री रवींद्र केशवराव एडसुरे, विद्वान वकील ने अपनी दलीलें शुरू कीं और दोपहर 3.20 बजे तक अदालत को संबोधित किया।

सुनवाई समाप्त हुई। फैसला सुरक्षित रखा गया".

(vii) अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया। राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया। आरोपी नंबर 3, 5 और 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी;

(viii) तीन अभियुक्तों – अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया गया था;

(ix) न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 2008 को न्यायमित्र नियुक्त किया। वकील को उसी दिन सुना गया और फैसला सुरक्षित रखा गया; और (x) अंततः, इस न्यायालय के निर्णय द्वारा, अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 को मौत की सजा सुनाई गई और महाराष्ट्र राज्य की अपीलों को स्वीकार कर लिया गया। आरोपी संख्या 1, 2 और 4 द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

9. तथ्यों के उपरोक्त कथन से, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 को महाराष्ट्र राज्य द्वारा सजा बढ़ाने के लिए दायर अपीलों पर निर्णय लेने से पहले पीठ द्वारा सुनने का कोई अवसर नहीं था। उन्हें वकीलों को नियुक्त करने और इस तरह की प्रस्तुतियों का आग्रह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है क्योंकि उन्हें सलाह दी जा सकती है कि वे राज्य द्वारा दायर अपीलों के बचाव में आग्रह करें। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर.

10. इन परिस्थितियों में, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि इस न्यायालय के दिनांक 30 अप्रैल 2009 के निर्णय और आदेश को वापस लिया जाना चाहिए जिसमें अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी। हम तदनुसार आदेश देते हैं।

11. फिर हमारे पास आरोपी संख्या 1, 2 और 4 का मुद्दा बचता है। 30 अप्रैल 2009 के इस न्यायालय के फैसले ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 को मौत की सजा देने वाले फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, निष्पक्षता और औचित्य दोनों के लिए आवश्यक है कि आरोपी संख्या 1, 2 और 4 के संबंध में निर्णय को इसी तरह वापस लिया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि इस न्यायालय के दिनांक 30 अप्रैल 2009 के निर्णय में कहा गया है कि:

"ये अपीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाई जाती हैं" (जोर दिया गया) सबूत आम हैं और अपराध एक ही घटना से संबंधित हैं। इसलिए, यह उचित और उचित दोनों है कि सभी छह आरोपियों के संबंध में 30 अप्रैल 2009 के फैसले को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए।

12. तदनुसार हम आदेश और निर्देश देते हैं कि:

(i) पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को वापस लिया जाता है। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी जाती है;

(ii) 2007 की आपराधिक अपील संख्या 1008-09 और 2009 की आपराधिक अपील संख्या 881-882 में दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के निर्णय को वापस लिया जाता है। आपराधिक अपीलों को इस न्यायालय की फाइल में बहाल किया जाता है और नए सिरे से सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाएगा;

(iii) अभियुक्त संख्या 3, 5 और 6 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है; और

(iv) अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा का निष्पादन अपीलों के निपटान तक निलंबित रहेगा।

(v) यदि पहले से नहीं बुलाया गया है तो रजिस्ट्री अभिलेखों की मांग करेगी।

(vi) Crl.MP संख्या 7008-7009/2016 का तदनुसार निपटान किया जाता है। देविका गुजराल की पुनर्विचार याचिकाओं को निर्देशों के साथ मंजूरी।

Digitally signed by SHEELVANT
Date: 2023.11.01 14:35:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court